



न्यायालय समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

बी०बी०सी० अपील वाद सं०-16 / 2014-15

राजेश्वर प्रसाद शाही बनाम जमशेद आलम

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
19-11-18	<p align="center">आदेश</p> <p>प्रस्तुत वाद राजेश्वर प्रसाद शाही, पिता स्व० राम चरित्र प्रसाद शाही प्रो० कुमुद मेडीकल हॉल, एच-38 डाक्टर्स कॉपरेटिव कॉलोनी, जिला-पटना ने गृह नियंत्रक सह अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर के बी०बी०सी० वाद सं० 105 / 13 राजेश्वर प्रसाद शाही बनाम डा० जे० आलम में दिनांक-12.07.2014 को पारित आदेश के विरुद्ध बी०बी०सी० एक्ट की धारा-24 के अंतर्गत दिनांक-13.01.2015 को अपील आवेदन प्राप्त हुआ है।</p> <p>अभिलेख का अवलोकन किया। दिनांक-13.01.2015 को अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को विलम्ब के बिन्दु पर सुनकर क्षांत करते हुए वाद प्रतिग्रहित किया गया है। निम्न न्यायालय के अभिलेख मांगते हुए अगली तिथि 13.03.2015 निर्धारित की गयी। दिनांक-25.06.2015 को विपक्षी द्वारा प्रत्युत्तर दाखिल किया। दिनांक-09.03.2018 से 19.11.18 तक लगातार चार तिथियों पर उभय पक्ष अनुपस्थित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को वाद संचालन में कोई अभिरुचि नहीं रह गयी है।</p> <p>इसलिए अपील आवेदन को बिना गुण-दोष के खारिज करते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।</p> <p align="center">लेखापित एवं संशोधित।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना। </div> <div style="text-align: center;">  समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना। </div> </div>	